


192

**RTI MATTER**  
**BY SPEED POST**



No. 11017/5/2013-BM.III  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(BM.III Section)

\*\*\*\*

5<sup>th</sup> Floor, NDCC-II Building Jai Singh Road,  
New Delhi, Dated the 18<sup>th</sup> October, 2013

18 OCT 2013

Shri Surender Kumar Billa,  
Kucha Nalke Wala,  
Gali Devi Wali,  
Jodi Pipal, Namak Mandi,  
Amritsar(Pb)-143001.

Subject:- Information sought by Shri Shri Surender Kumar Billa,  
Kucha Nalke Wala, Gali Devi Wali, Jodi Pipal, Namak  
Mandi, Amritsar - regarding

Reference:- Your RTI Application dated 24.06. 2013 received in this  
Division on 14.10.2013 from Ministry of Defence Sena Bhawan, New Delhi.

Sir,

With reference to your RTI application dated as quoted above, I am  
directed to inform that as far as the sections under my charge are concerned, the  
information may please be treated as NIL. Further, the application under Section  
6(3) has been forwarded to MEA and MOD.

2. An appeal, if any, in the matter lies within a month to Shri Bhagwan  
Shankar, Joint Secretary (BM), Ministry of Home Affairs, NDCC- II Building  
New Delhi-110001.

  
(Amit Nirmal)

Deputy Secretary(BM.III)/CPIO

d/c

1355/DS(TSM-III)/13  
11/10

तत्काल

सूचना का अधिकार मामला

191

सं० 23(10)/2013-रक्षा (ए.जी.)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 25<sup>th</sup> सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र।

अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय के अ.शा. पत्र सं. 11017/5/2013-बी.एम. III दिनांक 16.08.2013 के माध्यम से 13.09.2013 को प्राप्त श्री सुरेन्द्र कुमार बिल्ला के दिनांक 24.06.2013 के दो आवेदन पत्र को संदर्भित करते हुए इन्हें वापिस करने का निदेश हुआ है।

2. इस संदर्भ में यह कहना है कि उक्त दोनो पत्र रक्षा मंत्रालय में पहले भी प्राप्त हुए थे एवं क्योंकि कोई भी सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं थी एवं सूचना अंशतः सेना मुख्यालय व गृह मंत्रालय से संबंधित थी, पत्र की प्रति संबंधित सीपीआईओ को इस मंत्रालय के दो पत्रों आई.डी. सं० 23(10)/2013-रक्षा (ए.जी.) दिनांक 22.07.2013 (प्रतियाँ संलग्न) के द्वारा अंतरित कर दी गयी थी।

3. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए, आवेदक के दोनो पत्र इस आशय के साथ वापिस किए जाते हैं कि आवेदक को वांछित सूचना प्राप्त हो सके।

ज. राय चौधरी  
(ज. राय चौधरी)

अवर सचिव (ए.जी. II) एवं सीपीआईओ

दूरभाष 2301 1146

गृह मंत्रालय,

[श्री अमित निर्मल, उप सचिव(बी.एम. III)/सीपीआईओ,

एन.डी.सी.सी.-II भवन, नई दिल्ली।

प्रति:

श्री सुरेन्द्र कुमार बिल्ला,

सूचनार्थ।

कुच्चा नलके वाला,

गली देवी वाली, जौड़ा पीपल,

नमक मण्डी, अमृतसर — पंजाब (143001)

9551/13/Ban-14  
14/10

10/10

US(TSM-III)

8/8  
14-10-13

श्री सुरेन्द्र  
14/10/13

U9

Immediate/RTI Matter


Ministry of Home Affairs  
Department of Border Management

\*\*\*\*

Sub: Application of Shri Surender Kumar Billa, under RTI Act, 2005-reg.

Please find enclosed herewith a copy of RTI application dated 24.6.2013 received in this division on 6.9.2013 from RTI Cell, MHA.

2. Since the requisite information does not fall totally within the jurisdiction of MHA & MoD, the application is therefore, being transferred to Ministry of Ministry of External Affairs and Ministry of Defence under sub-section (3) of Section 6 RTI Act.,2005 for taking necessary action.

  
(Amit Nirmal)

Deputy Secretary(BM-III)/CPIO

Encl: as above

1. MS. Madhu Kalra, S.O & CPIO, Ministry of External Affairs,  
South Block, New Delhi.

2. US(AG) & CPIO, Ministry of Defence Sena Bhawan, New Delhi.  
MHA U.O.No.11017/5/2013-BM-III dt.16.08.2013

Copy to :

1. Shri S. Samant, US(RTI), MHA, North Block, New Delhi.
2. Shri Surender Kumar Billa, Kucha Nalke Wala, Gali Devi Wali,  
Jodi Pipal, Namak Mandi, Amritsar(Pb)-143001.

RTI  
13/9/13

16-9-13  
SO(AH/III)

RTI

16/9  
SKSK

D(AG) 179/RTI  
Dy. No. ....  
Date.....16/9/13

NO-3482/RTI/MEA/2013 No. 10  
2114-101/RTI  
1.7.2013.

258  
692/13

# TIME BOND REG. LETTER

External Affairs Ministry  
Government of India  
RTI Cell Jawahar Lal Nehru Bhawan Janpath  
New-Delhi-110001

डा. वि. प्र. संख्या  
Dy. No. 2099  
दिनांक/Date 01-07-2013

जै हिन्द!

भारत की लोकसभा द्वारा 2005 में RTI ACT आम नागरिक के लिए सूचना लेने का अधिकार पास किया था। सूचना लेने के सम्बन्ध में।

RTI ACT 2005 की धारा 6.(3) के अनुसार सूचना दी जाए पाकिस्तान ने भारत पर कारगिल में आक्रमण किया था। कारगिल युद्ध में हमारे कितने सैनिक शहीद हुए और भारत कौन-कौन सी भूमि पर पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध के दरमियान कब्जा किया था। उसके बारे में बताया जाए कि पाकिस्तान में हमारी भूमि कितनी पाकिस्तान के कब्जे में है और कितने हमारे सैनिक शहीद हुए और कितने पाकिस्तान वालों के कब्जे में कितने सैनिक है। भारत ने कारगिल की युद्ध के दरमियान पाकिस्तान के कब्जे से कौन - कौन सी चौटी वापिस ली। और कितने सैनिक और कितने अधिकारी और कितने बड़े अधिकारी शहीद और घायल हुए है।

धन्यवाद सहित।

बनती फीस साथ में लगा दी गई है।

सुरिन्द्र कुमार बिल्ला,  
कुच्छा नलके वाला,  
गली देवी वाली, जौड़ा पीपल,  
नमक मण्डी, अमृतसर-पंजाब(143001)।

मो:9888828809

24-6-2013  
WS (Rak)  
MoD  
WS (RTI)  
So (RTI)

10 No: 3483/RTI/MEA/2013 no. 101  
2120 (DIR/RTI)  
04/07/2013

69/13  
148

# TIME BOND REG. LETTER

External Affairs Ministry  
Government of India  
RTI Cell Jawahar Lal Nehru Bhawan Janpath  
New-Delhi-110001

डायरी संख्या 2098 RTI Sec/2011  
Dy. No. 01-07-2013  
दिनांक/Date...

जै हिन्द!

भारत की लोकसंभा द्वारा 2005 में RTI ACT आम नागरिक के लिए सूचना लेने का अधिकार पास किया था। सूचना लेने के सम्बन्ध में।

1. RTI ACT 2005 की धारा 6.(3) के अनुसार सूचना दी जाए चाईना 1962 में भारत-चीन युद्ध हुआ था। जो भारत पर चीन की साजिश थी।
2. भारत के कितने सैनिक शहीद हुए या चाईना की जेलों में कोई जवान है या फिर कोई जवान है तो बताया जाए।
3. चाईना के पास भारत की कितनी भूमि है जिस पर चाईना ने भारत के बड़े भूमि भाग पर कब्जा किया है वो कितनी जमीन है। अब चाईना के कब्जे में भारत की कितनी भूमि है और चाईना ने उसका कब्जा छोड़ा है या नहीं ? अगर छोड़ दिया है तो वो भी बताया जाए।

(line)  
part 7 pt 2

धन्यवाद सहित।

बनती फीस साथ में लगा दी गई है।

SABIR

24-6-2013

सुरिन्द्र कुमार बिल्ला,  
कुच्चा नलके वाला,  
गली देवी वाली ,जौड़ा पीपल ,  
नमक मण्डी,अमृतसर-पंजाब(143001)।  
मो:9888828809

h  
1/1/07  
D.sc/fms  
S. (R. 11)